आदियोगी शिव आश्रम संस्था

संघ विधान पत्र - संस्था के उद्देश्य

1. **संस्था का नाम: आदियोगी शिव आश्रम संस्था**
2. **पंजीकृत कार्यालय :** सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय **डायमंड हाउस जोधपुर रोड, वर, ब्यावर (306105) राजस्थान।**

   कार्यक्षेत्र: इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक सीमित रहेगा।

3. **इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है।**

1. संस्था आश्रम निर्माण करना, आश्रम के रखरखाव तथा मंदिर का उचित प्रबंधन कार्य करना।
2. संस्था धर्म का प्रचार-प्रसार एवं व्यवस्था के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. संस्था शिक्षा के लिए जरुरी संस्थान का निर्माण करना तथा शिक्षा की जरूरत मंद लोगो का सहायता करना।
4. संस्था पर्यावरण के उत्थान के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा पेड़ -पौधों का रोपन करना।
5. संस्था के सर्वांगीण विकास एवं मनोरंजन हेतु समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
6. आवश्यकतानुसार बैंक में खातों का खुलाना एवं सही प्रकार से रखरखाव करना।
7. अन्य संस्थानों से सामंजस्य स्थापित कर कर्मचारियों के हित में कार्य करना।
8. संस्था की आवश्यकतानुसार चुनाव कराना।
9. समय समय पर आवश्यकतानुसार अन्य संस्था अथवा सरकारी विभागों से पत्राचार करना।
10. समय समय पर आवश्यकतानुसार संवैधानिक/वैधानिक सलाह प्राप्त करना।
11. संस्था सरकार द्वारा सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी करना।
12. समय समय पर संस्था हितों के लिए नियमित बैठके करना।
13. संस्था के हितों की रक्षा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है–

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	धनराज चौहान पुत्र सेसाराम	समाज सेवा	ग्राम धानापा, टंगलिया, मेडता नागौर	अध्यक्ष
2	देवेन्द्र चौधरी पुत्र जेठाराम	समाज सेवा	129 पाल रोड, मुरली नगर द्वितीय शौभावतों की ढाणी, नंदनवन जोधपुर	महासचिव
3	सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश सौलंकी	समाज सेवा	डायमंड हाउस, जोधपुर रोड बर ब्यावर	उपाध्यक्ष
4	धीरजपाल सिंह राठौर पुत्र रामस्वरूप सिंह	समाज सेवा	37, आरा मशीन के पास, बस स्टेण्ड, चावंडिया कला, जेतारण ब्यावर।	कोषाध्यक्ष
5	नेनू पुत्र दानाराम	समाज सेवा	ग्राम डसनिया, शेरगढ, जोधपुर	संयुक्त सचिव
6	रावल सिंह पुत्र मानसिंह	समाज सेवा	69 पदमपुरा भनियाना	सदस्य
7	मुन्नी देवी पत्नी पोकर राम	समाज सेवा	69 पदमपुरा भनियाना	सदस्य

5. हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अंतर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्टर्ड करवाने के इच्छुक है–

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता
1	धनराज चौहान पुत्र सेसाराम	समाज सेवा	ग्राम धानापा, टंगलिया, मेडता नागौर
2	देवेन्द्र चौधरी पुत्र जेठाराम	समाज सेवा	129 पाल रोड, मुरली नगर द्वितीय शौभावतों की ढाणी, नंदनवन जोधपुर
3	सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश सौलंकी	समाज सेवा	डायमंड हाउस, जोधपुर रोड बर ब्यावर
4	धीरजपाल सिंह राठौर पुत्र रामस्वरूप सिंह	समाज सेवा	37, आरा मशीन के पास, बस स्टेण्ड, चावंडिया कला, जेतारण ब्यावर।
5	नेनू पुत्र दानाराम	समाज सेवा	ग्राम डसनिया, शेरगढ, जोधपुर
6	रावल सिंह पुत्र मानसिंह	समाज सेवा	69 पदमपुरा भनियाना
7	मुन्नी देवी पत्नी पोकर राम	समाज सेवा	69 पदमपुरा भनियाना

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

हस्ताक्षर
प्रमोद कुमार

हस्ताक्षर
नरेन्द्र गोयल

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

आदियोगी शिव आश्रम संस्था

विधान नियमावली

1. **संस्था का नाम: आदियोगी शिव आश्रम संस्था**
2. **पंजीकृत कार्यालय :** सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय **डायमंड हाउस जोधपुर रोड, बर, ब्यावर (306105) राजस्थान।**

   कार्यक्षेत्र:इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक सीमित रहेगा।

3. **आदियोगी शिव आश्रम संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है।**
   1) संस्था आश्रम निर्माण करना, आश्रम के रखरखाव तथा मंदिर का उचित प्रबंधन कार्य करना।
   2) संस्था धर्म का प्रचार-प्रसार एवं व्यवस्था के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
   3) संस्था शिक्षा के लिए जरुरी संस्थान का निर्माण करना तथा शिक्षा की जरूरत मंद लोगो का सहायता करना।
   4) संस्था पर्यावरण के उत्थान के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा पेड़ -पौधों का रोपन करना।
   5) संस्था के सर्वांगीण विकास एवं मनोरंजन हेतु समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
   6) आवश्यकतानुसार बैंक में खातों का खुलाना एवं सही प्रकार से रखरखाव करना।
   7) अन्य संस्थानों से सामंजस्य स्थापित कर कर्मचारियों के हित में कार्य करना।
   8) संस्था की आवश्यकतानुसार चुनाव कराना।
   9) समय समय पर आवश्यकतानुसार अन्य संस्था अथवा सरकारी विभागों से पत्राचार करना।
   10) समय समय पर आवश्यकतानुसार संवैधानिक/वैधानिक सलाह प्राप्त करना।
   11) संस्था सरकार द्वारा सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्यकर्मो में भागीदारी करना।
   12) समय समय पर संस्था हितो के लिए नियमित बैठके करना।
   13) संस्था के हितों की रक्षा करना।

4. **सदस्यता :** योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
   a. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
   b. बालिग हो।
   c. पागल, दीवालिये न हों।
   d. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
   e. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण :** संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

---

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	महासचिव	कोपाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

a. संरक्षक
b. अध्यक्ष
c. उपाध्यक्ष
d. महासचिव
e. संयुक्त सचिव
f. कोषाध्यक्ष
g. सदस्य

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा** : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा : -

a. संरक्षक अंशदान राशि-5100 / रूपये वार्षिक
b. अध्यक्ष अंशदान राशि-5100 / रूपये वार्षिक
c. उपाध्यक्ष अंशदान राशि-2100 / रूपये वार्षिक
d. महासचिव अंशदान राशि-2100 / रूपये वार्षिक
e. संयुक्त सचिव अंशदान साधारण राशि-1100 / रूपये वार्षिक
f. कोषाध्यक्ष अंशदान साधारण राशि-1100 / रूपये वार्षिक
g. साधारण सदस्य अंशदान राशि-501/ रूपये वार्षिक

उक्त राशि एकमुश्त या मासिक तथा नियमानुसार की दर से जमा कराई जा सकेगी

7. **सदस्यता से निष्कासन** :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:

a. मृत्यु होने पर
b. त्यागपत्र देने पर
c. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
d. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

8. **साधारण सभा**:-संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य** : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे:

a. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
b. वार्षिक बजट पारित करना।
c. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
d. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. **साधारण सभा की बैठकें :**

a. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

b. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

c. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

d. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

e. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. **कार्यकारिणी का गठन :**

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :

1. अध्यक्ष – धनराज चौहान
2. उपाध्यक्ष – सुरेंद्र कुमार
3. महासचिव – देवेंद्र चौधरी
4. संयुक्त सचिव– नेनू
5. कोषाध्यक्ष– धीरज पाल सिंह
6. साधारण सदस्य - रावल सिंह
7. साधारण सदस्य- मुन्नी देवी

इस प्रकार वर्तमान प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 2 सदस्य कुल 7 सदस्य है ।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन :**

संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जाएगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

13. **संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-**

a. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
b. वार्षिक बजट तैयार करना।
c. संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना।
d. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
e. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
f. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
g. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. **कार्यकारिणी की बैठक :-**

a. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
b. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
c. बैठक की सूचना प्राय:7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अति आवश्यक बैठक की सूचना
d. परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
e. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. **संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:**

1-अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

a. बैठकों की अध्यक्षता करना। .
b. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
c. बैठक आहूत करना।
d. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
e. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

a. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
b. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- महासचिव के अधिकार व कर्तव्य

a. बैठक आहूत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | महासचिव | कोपाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

b. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
c. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
d. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
e. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
f. पत्र व्यवहार करना।
g. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4-संयुक्त सचिव के अधिकार व कर्तव्य :

a. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
b. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य:

a. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
b. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
c. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
d. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. **संस्था का कोष :-. संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :**

a. चन्दा
b. शुल्क
c. अनुदान
d. सहायता
e. राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। अध्यक्ष/महासचिव /कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

17. **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार**

संस्था के हित में तथा कार्य एवं समय की आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की एकमुश्त राशि स्वीकृत कर सकेंगे

1. अध्यक्ष :- 100000/- रुपये
2. महासचिव :- 50000/- रुपये
3. कोषाध्यक्ष :- 25000/- रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की

.....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar

नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जाएगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण** : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. **संस्था के विधान में परिवर्तन** : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन** : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्था को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण** : रजिस्ट्रार संस्थाएं ब्यावर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) आदियोगी शिव आश्रम सोसाइटी की सही व सच्ची प्रति है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Heera Lal
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.12.20 17:52:27 IST
Reason: Approved
Location: Beawar